तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व[illegible] अहलकार[illegible] हुक्म की[illegible] में जारी[illegible]
28/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उप०। पत्रावली बहस अप्रपक्ष सुनी गयी। पत्रावली में पेश न्यायिक दृष्टांत अवलोकन किया। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 30/10/25 को पेश हो। [signature] 28/8/25	
30/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र 212 RTA दिनांक 27/11/25 को पेश हो। [signature]	
27/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w. O. 39 R1&2 CPC के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा-212 RTA के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिए इसे निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- प्रार्थी० प्रार्थीगण द्वारा बहस मे कथन किया कि ग्राम खेजड़िया की वाइयस आराजी खाता सं० 86 कित्ता 10 रकबा 4.6918 हैक्टे०, खाता सं० 80 कित्ता [illegible] रकबा [illegible] hect, खाता सं० 82 कित्ता 01 रकबा 0.0885 h[illegible] सं० 81 कित्ता 04 रकबा 1.7325 hect [illegible] कित्ता 01 रकबा 0.0379 hect एवं खाता सं० [illegible] कित्ता 02 रकबा 0.13[illegible] hect गंगाराम पिता रामलाल सोंधिया की सहखातेदार मे दर्ज रिकार्ड थी। हाल खाता सं० 312 कित्ता 6 मे	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
गंगाराम पिता रामलाल की सहखातेदारी में दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त अराजी संवत 2062-65 में गंगाराम पिता रामलाल के खाते दर्ज थी अर्थात ख0न0 8, 21, 31, 88, 301, 466, 499, 571/863, 574/862, 577/864, 641, 654, 703, 784 व 785 कित्ता 15 कुल रकबा 29 बीघा गंगाराम पिता रामलाल के खाते दर्ज रिकार्ड थी जो विरासत में अपने पिता रामलाल से प्राप्त हुई। आगे तर्क किया कि वादग्रस्त अराजी जमाबंदी संवत 2018-19 से ही रामलाल पिता धीसू सोधिया के खाते दर्ज चली आ रही है जो बाद में फौती इंतकाल से पुत्र गंगाराम के खाते दर्ज हुई थी अतः वादग्रस्त अराजी प्रार्थीगण की पैतृक (ancestral property) संपत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन जन्म से ही हक व अधिकार निहित था। मृतक खातेदार गंगाराम पिता रामलाल की वादग्रस्त संपत्ति में धारा-6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार एक्ट के तहत नोशनल शेयर 6/7 (6x1/7) निहित था क्योंकि मृतक गंगाराम के वारिसान में केवल 6 पुत्रियां (प्रार्थीगण) ही है। मृतक गंगाराम का नोशनल शेयर केवल हिस्सा 1/7 ही था और इसलिये उक्त पैतृक संपत्ति में से केवल हिस्सा 1/7 को ही transfer (बेचान, दान, वसीयत आदि) करने का अधिकार [illegible] प्रार्थीगण के Notional share 7/8 [illegible] transfer [illegible] का कोई अधिकार नहीं था [illegible] खातेदार गंगाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्र0का0 के पैरा न0 5 वर्णित पैतृक भूमि को हिस्सा 1/2 बेचान दिनांक	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म ... में जा...

23/11/2017 को अप्रार्थी 1 को बेचान कर दिया
बाबत पैरा न० 6 में वर्णित भूमि के हिस्सा 1/2
की वसीयत दिनांक 05/02/2010 को अप्रार्थी 1 के
कर दी थी। आर्ग० प्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क
किया गया कि कोई भी वसीयत चाहे वह रजिस्टर्ड
हो, के आधार पर तब तक खातेदारी अधिकार
नहीं दिये जा सकते है जब तक कि वह
वसीयत को दोनो attesting witness द्वारा साबित
नहीं कर दिया जावे या जब तक probate
जारी नहीं कर दिया जावे। अतः वादग्रस्त
पैतृक संपत्ति में प्रार्थीगण के Notional share
का खातेदार गंगाराम द्वारा किया गया बेचान
दिनांक 23/11/2017 एवं वसीयत दिनांक 05/2/2010
प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य होने तथा
वसीयत को दोनो गवाहो से साबित कराये बिना
दर्ज नामान्तरण अवैध होने से खारिज योग्य
होने से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है।

आर्ग० अप्रार्थी द्वारा उक्त बहस का
पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि
ग्राम खेजड़िया की वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की
पैतृक आराजी नहीं है क्योंकि यह गंगाराम को
4th पुरुष पीढ़ी से विरासत में undivided
way मे प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थीगण द्वारा
यहां तक भी [illegible] कि वादग्रस्त
आराजी रामलाल [illegible] सौतीया
से विरासत में प्राप्त [illegible]
का कोई [illegible] साक्ष्य [illegible] 4th generation
प्रार्थीगण ने पेश नहीं
किया है। अतः संपति गंगाराम की स्वअर्जित
संपति थी जिसे transfer करने का अपने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	जीवनकाल (lifetime) में पूर्ण अधिकार था। आगे तर्क किया है कि अप्रार्थी 1 वर्तमान में Recorded Khatedar tenant के साथ-साथ कब्जाधारी है जबकि प्रार्थिया शादी होकर अपने-अपने ससुराल में निवास कर रही है। आगे तर्क किया कि अप्रार्थी पंजी० विक्रय पत्र दिनांक 23/11/2017 से खातेदार व कब्जाधारी बना है और उक्त रजि० विक्रयपत्र को आज तक किसी भी सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा खारिज (cancel) नहीं किया गया है। मृतक खातेदार गंगाराम ने अप्रार्थी 1 को गोद लेकर दत्तक पुत्र के रूप में रखा था और अप्रार्थी की सेवा से खुश होकर रजि० वसीयत दिनांक 05/2/2010 को की गई थी। रजि० वसीयत को नामान्तरण हेतु करने के लिए साबित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। प्रार्थिया द्वारा अभी तक किसी भी civil court में उक्त रजि० वसीयतनामा को चुनौती नहीं दी है और ना ही खारिज किया गया है। जब तक इसे सक्षम कोर्ट द्वारा खारिज नहीं कर दी जावे तब तक ऐसी रजि० वसीयत स्वतः ही साबित है। वर्तमान में वसीयत को probate [illegible] कोई कानूनी आवश्यकता [illegible] प्रकरण अप्रार्थी 1 के पक्ष [illegible] बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य में फाईल के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल जमाबंदी संवत 2074-77 के अनुसार अप्रार्थी 1 पीता सिंह	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म मे…
	वादग्रस्त आराजी खाता नं० 86 कित्ता 10 रकबा 4.6918 hect, खाता नं० 87 कित्ता 4 रकबा 1.7325 hect व खाता नं० 85 कित्ता 01 रकबा 0.0885 hect मे हिस्सा 1/2 का Recorded Khatedar co-tenant है। प्रार्थिया द्वारा पेश रजि० विक्रयपत्र दिनांक 23/11/2017 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी 1 एक सद्भावी क्रेता है और रजि० विक्रयपत्र से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर कब्जा भी प्राप्त किया है। प्रार्थिया रिकार्डेड खातेदार कृषक नहीं है बल्कि The Hindu Succession Act के आधार पर वादग्रस्त भूमि को गंगाराम की Ancestral property बताते हुए Notional share पर खातेदारी अधिकारों की declaration चाहती है। उक्त अनुतोष issue frame कर साक्ष्य लेकर मूलवाद मे गुणावगुण पर तय किया जायेगा। उक्त sale deed गंगाराम के जीवनकाल मे 23/11/2017 को Execute हुई थी और इसे प्रार्थिया द्वारा सक्षम civil court मे challenge किये जाने का कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया है। प्रार्थिया द्वारा sale deed होने के करीब 6 वर्षों के बाद यह suit and a[illegible] पेश की है। यहाँ यह भी un-di[illegible] fact है कि प्रार्थिया की शादी [illegible] होकर अन्य गांवो (ससुराल) मे रहती है और अप्रार्थी 1 खेजडिया गांव मे ही निवास करता है अतः वर्तमान मे उक्त क्रयशुदा आराजी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पर अप्रार्थी 1 का ही कब्जामालक होना प्रतीत होता है अर्थात अप्रार्थी 1 पीरू सिंह रिकार्ड सहखातेदार एवं कब्जाधारी भी है और विरोधी पक्षकारियो को हटाकर रिकार्ड सहखातेदार हक मय कब्जाधारी के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी ही नहीं किया जाना चाहिए।	

वादग्रस्त आराजी गंगाराम की पैतृक आराजी थी या नहीं - यह प्रश्न मूलतः मूलवाद में निर्धारित किया जावेगा। यह सुस्थापित विधि है कि A property will be an ancestral property if it is received from 4th male generation in inheritance undevidedly.
प्रार्थीगण द्वारा पेश संवत 2018-19 की खसरा गिरदावरी के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि रामलाल पिता धीसू सोंधिया के खाते दर्ज होना जाहिर होता है। रामलाल की मृत्यु के उनके वारिसान गंगाराम (पुत्र), नोडियानबाई व मनोरबाई (पुत्रियां) के खाते दर्ज हुई (जमाबंदी संवत 2054-57) जबकि जमाबंदी संवत 2062-65 के अनुसार वादग्रस्त भूमि केवल गंगाराम (पुत्र) के खाते दर्ज थी। गंगाराम की दोनों बहिनो - नोडियानबाई व मनोरबाई के हिस्से 2/3 का गंगाराम [illegible] transfer कैसे, कब व किस दस्तावेज [illegible] के अभाव में स्पष्ट नहीं है। [illegible]
आराजी 4th पुरूष पीढ़ी से विरासत में मृतक गंगाराम को अविभाजित रूप में प्राप्त होना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	प्रतीत नहीं होता है अपितु पैतृक संपत्ति होना प्रतीत नहीं होता है।
	मृतक खातेदार गंगाराम द्वारा अप्रार्थी 1 के पक्ष में की गई रजि० वसीयत दिनांक 05/02/2010 के अवलोकन से जाहिर है कि गंगाराम द्वारा ग्राम खेजड़िया की वादग्रस्त आराजी ख०न० 8 रकबा 3-04 बीघा, ख०न० 31 रकबा 3-01 बीघा, ख०न० 301 रकबा 2-14 बीघा, ख०न० 499 रकबा 0-06 बीघा, ख०न० 571/863 रकबा 1-04 बीघा, ख०न० 574/862 रकबा 0-11 बीघा, ख०न० 577/864 रकबा 0-08 बीघा, ख०न० 641 रकबा 0-09 बीघा, ख०न० 654 रकबा 0-05 बीघा, ख०न० 703 रकबा 3-09 बीघा, ख०न० 784 रकबा 1-17 बीघा व ख०न० 785 रकबा 1-14 बीघा कुल किता 12 कुल रकबा 19-02 बीघा की वसीयत दो witness की उपस्थिति में अपने दत्तक पुत्र पीरूसिंह पिता बापूसिंह दत्तक पुत्र गंगाराम को किया गया था। उक्त वसीयत के प्रभावी होने से पूर्व ही वसीयत कर्ता गंगाराम द्वारा ख०न० 8 रकबा 3-04 बीघा, ख०न० 31 रकबा 3-01 बीघा, ख०न० 571/863 रकबा 1-04 बीघा, ख०न० 574/862 रकबा 0-11 बीघा, ख०न० 577/864 रकबा 0-08 बीघा, ख०न० 641 रकबा 0-09 बीघा, ख०न० 703 रकबा 3-09 बीघा, ख०न० 784 रकबा 1-17 बीघा व ख०न० 785 रकबा 1-14 बीघा किता 9 में से [illegible] 1/2 की बेचान रजिस्ट्री दिनांक 23/11/2017 से वसीयत ग्रहिता अप्रार्थी 1 को कर दिया था। उक्त वसीयत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(6)

	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दिनांक 05/02/2010 को प्रार्थीगण द्वारा किसी सक्षम civil court मे चुनौती दिये जाने या खारिज किये जाने का साक्ष्य भी पेश नही किया है।	
	यह सही है कि धारा-63 The indian Succession Act 1925 मे एक Valid and unprivileged will की requirements दी गई है जिसके अनुसार वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर एवं कम से कम दो गवाहो के नाम मय पता व हस्ताक्षर होना आवश्यक है (A will is mandatorily required to be attested by two witness). । वसीयत के गवाहो की मूलवाद मे साक्ष्य (evidence) मे परीक्षण (examination) किया जावेगा, ना कि इस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act मे। हस्तगत प्रकरण मे पेश वसीयत का धारा-63 The indian Evidence Act के अनुसार निष्पादित (execute) करना जाहिर होता है लेकिन इसे साबित (prove) मूलवाद मे किया जाना है।	
	वर्तमान मे उक्त रजि० वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज नही होना और शेष 1/2 भाग पर अभी भी वसीयतकर्ता गंगाराम का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होना जाहिर होता है।	
	अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टान्त के परिपेक्ष्य मे प्रकरण प्रथम दृष्टया ... पत्र दिनांक 23/11/2017 के ... विरुद्ध एवं शेष भाग तक प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुकम

(ब) सुविधा का संतुलन :- हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी 1 जर्ये रजिस्ट्री से क्रयशुदा आराजी जिसका वह वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार एवं कब्जाधारी जाहिर होता है - पर प्रार्थीगण ना तो खातेदार है और ना ही कब्जाकाश्त में होना साबित है। वादग्रस्त आराजी मृतक गंगाराम की पैतृक/(सहदायिकी) संपत्ति भी जाहिर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में खातेदार अप्रार्थी 1 के विरुद्ध व्यादेश जारी कर उन्हें उसके प्राप्त कानूनी अधिकारों (legal rights) से वंचित करना उन्हें अधिक असुविधा उत्पन्न करेगा।

पहले सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी 1 के पक्ष में दिनांक 05/2/2010 को रजि० वसीयत करना और फिर 7 वर्षों के बाद कुछ भूमि का रजि० बैचान पत्र से उसी दत्तक पुत्र को बैचान करना संदेहप्रद परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। प्रार्थीगण द्वारा वसीयत एवं बैचानपत्र दोनों में से किसी को भी सक्षम civil court में challage नहीं करना भी संदेह उत्पन्न करता है। उक्त दोनों facts या संदेह मूलवाद (declaratory suit) में तनकीयात कायम [illegible] उभयपक्ष से साक्ष्य लेकर जिरह बहस [illegible] बाद तय किया जाना है लेकिन अप्रार्थी 1 [illegible] साथ प्रार्थीगण के पिता की संपत्ति में हितों के संरक्षण [यदि मूलवाद में वादग्रस्त भूमि ancestral property

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

(7)

साबित होती है तो The Hindu Succession Act के प्रावधानों अनुसार निहित हकों का संरक्षण) के लिये हाल मे मृतक गंगाराम पिता रामलाल के खाते दर्ज हिस्सा 1/2 को संरक्षित ~~रखे~~ करना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण, मृतक खातेदार गंगाराम की Biological daughters है ~~एवं~~। कोई भी Biological son नहीं होना जाहिर होता है।
अत: वसीयतनामा दिनांक 05/02/2010 की वसीयत की गई भूमि मे से बैचान दिनांक 23/11/2017 से बैचान की गई भूमि को छोडकर शेष भाग पर जो कि अभी भी मृतक गंगाराम के खाते दर्ज है– पर स्थगन जारी करने पर प्रार्थीगण को आधिक सुविधा होगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रकरण मे सुविधा का सन्तुलन आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं आंशिक रूप से प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(स) अपूरणीय क्षति :- प्रथम ...

प्रथम दृष्टया एवं सुविधा ... सन्तुलन ... रूप से मृतक खातेदार ... गंगाराम (प्रार्थीगण) के पक्ष मे एवं आंशिक रूप से विरुद्ध साबित है। यदि वसीयतनामा के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	पर, जो कि मूलवाद मे गवाहो द्वारा testify होता है, अप्रार्थी 1 के पक्ष मे नामान्तरण दर्ज होकर खातेदार दर्ज किया जाता है और फिर भूमि का अन्तरण होता है, जैसा कि प्रार्थीगण ने शपथ पत्र मे कथन किया है, तो प्रार्थीगण को अपने पिता की वादग्रस्त संपत्ति मे निहित legal rights से वंचित रहना पडेगा और परिणामत: अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।
	उपरोक्त विवेचन एवं पेश न्यायिक दृष्टांतो से प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम खेजडिया की वादग्रस्त आराजी के वसीयतनामा दिनांक 05/8/2010 मे अंकित भूमि मे से रजि० विक्रय पत्र दिनांक 23/11/2017 से बेचान की गई भूमि के अतिरिक्त भूमि जो वर्तमान मे मृतक गंगाराम के खाते दर्ज है – पर तारफैसलामूलवाद किसी भी प्रकार अंतरण (transfer) पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थी 1 को रजि० विक्रय पत्र से क्रयशुदा भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही होगा। उपपंजीयक / तहसीलदार राजस्व जमाबंदी पर कोई नोट [illegible] उपपंजीयक के न्यायालय स्थगन पंजिका [illegible] करे। पत्रावली फैसलशुमार [illegible] होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner